रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938
No. 775] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1043(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1994 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), 'पीठासीन अधिकारी' शब्द सम्पूर्ण नियमों में जहां कहीं भी हो उसके स्थान पर 'अध्यक्ष' शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 2 में खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:-

'(छ) 'अध्यक्ष' से अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है और जिसमें किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण का तथा अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन अपीलीय अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष सम्मिलित है।'

4. मूल नियमों में, नियम 6क में, उप-नियम (2) में, शब्दों 'साठ दिनों' के स्थान पर शब्द 'तीस दिनों' रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों में, विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे:-

"9. देय ऋण की जमा की राशि – जहां पर अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट अपील एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, ऐसी अपील पर अपीलीय अधिकरण द्वारा जब तक सुनवाई नहीं की जाएगी जब तक वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिकरण द्वारा उस पर निर्धारित देय ऋण की राशि का पचास प्रतिशत अपीलीय अधिकरण को जमा नहीं करा देता है।

परन्तु यह कि अपीलीय अधिकरण, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा जमा की जाने वाली राशि को कम कर सकता है जो कि ऐसे देय ऋण की राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।"

[फा. सं. 03/10/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि.संख्यांक 815(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनकी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.119(अ), तारीख 20 फरवरी, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2016

G.S.R. 1043(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 36 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1994, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the principal rules), throughout the rules, for the words "Presiding Officer", wherever they occur, the word "Chairperson" shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 2, for clause (*g*), the following clause shall be substituted, namely:–

'(g) "Chairperson" means Chairperson of an Appellate Tribunal and includes Chairperson of any other Appellate Tribunal established under any other law and authorised by the Central Government to discharge the functions of Chairperson of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 8 of the Act.'.

4. In the principal rules, in rule 6A, in sub-rule (2), for the words "sixty days", the words "thirty days" shall be substituted.

5. In the principal rules, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:–

"9. Deposit of amount of debt due. – Where an appeal is preferred by a person referred to in section 21 of the Act, such appeal shall not be entertained by the Appellate Tribunal unless such person has deposited with the Appellate Tribunal fifty per cent. of the amount of debt so due from him as determined by the Tribunal under section 19 of the Act:

Provided that the Appellate Tribunal may, for reasons to be recorded in writing, reduce the amount to be deposited by such amount which shall not be less than twenty five per cent. of the amount of such debt so due.".

[F. No. 3/10/2016-DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 815(E), dated the 16th November, 1994 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 119(E) dated the 20th February, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1044(अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 15 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया) नियम, 2010 में नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4क. पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध जांच – (1) अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन पर या अन्यथा, अधिनियम की धारा 17(क) की उपधारा (1) के तहत अधिकरणों पर नियंत्रण एवं अधीक्षण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यदि अध्यक्ष यह मानता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी के रूप में उसके कार्यनिष्पादन संबंधित अक्षमता एवं दुर्व्यवहार के लिए एक जांच प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कार्रवाई करने की संस्तुति हेतु एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि अध्यक्ष के प्रतिवेदन के आधार पर एक जांच कराए जाने के उचित आधार हैं तो तदनुसार नियम 5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"

[फा. सं. 03/10/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में उनकी संख्या सा.का.नि. 595(अ), 07 जुलाई, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.118(अ), 21 फरवरी, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2016

G.S.R. 1044(E).— In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 36 read with sub-section 3 of section 15 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.–(1) These rules shall be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2010, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:–

"4A. Enquiry against Presiding Officer for Misbehaviour or Incapacity.– (1) On assessment of performance of any Presiding Officer of the Tribunal or otherwise, in exercise of general power of superintendence and control over the Tribunals under sub-section (1) of section 17A of the Act, if the Chairperson is of the opinion that an inquiry is required to be initiated against such Presiding Officer for misbehaviour or incapacity on his performance as a Presiding Officer, he shall submit a report to Central Government recommending action against such Presiding Officer, for reasons to be recorded in writing.

(2) If the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry based on the report of Chairperson, it shall proceed in accordance with the procedure laid down in rule 5.".

[F. No. 3/10/2016-DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 595(E), dated the 7th July, 2010 and last amended *vide* notification number G.S.R. 118(E), dated the 21st February, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1045(अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति) नियम, 1997 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति) नियम, 1997 में, शब्द 'पीठासीन अधिकारी' नियमों में जहां कहीं भी आता हो, शब्द 'अध्यक्ष' के द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

[फा. सं. 03/10/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. 338(अ), 24 जून, 1997 को प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2016

G.S.R. 1045(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 36 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and Administrative Power) Rules, 1997, namely:—

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and Administrative Power) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and Administrative Power) Rules, 1997, throughout the rules, for the words "Presiding Officer", wherever they occur, the word "Chairperson" shall be substituted.

[F. No. 3/10/2016-DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 338(E), dated the 24th June, 1997.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1046(अ).—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13 की उप धारा (4), उप धारा (10) और उप धारा (12) के साथ पठित धारा 38 की उप धारा (1) तथा धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,-

(i) उप नियम (1) में, "परिदान" शब्द के पश्चात् "जन परिदान सहित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतु उधारकर्ता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में मांग नोटिस उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट कर सकता है"।

3. मूल नियम के नियम 3क में,-

(i) खंड (ख) में, "सात दिन" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "एक सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियम के नियम 4 में, उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2क) उधारकर्ता को परिशिष्ट-I, में उल्लिखित पंचनामा और परिशिष्ट–II में तैयार की गयी सूची संलग्न करते हुए नोटिस के द्वारा सूचना दी जाएगी"।

IndiaCode

"(2ख) इन नियमों के अंतर्गत सभी नोटिस नियम 3 में निर्दिष्ट पद्धतियों के अलावा, सेवा की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए उधारकर्ता को दिया जा सकता है"।

5. मूल नियम के नियम 6 में,-

(i) उप नियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) ई-नीलामी पद्धति सहित, लोक नीलामी आयोजित करना; या";

(ii) उप नियम (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उप नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित किसी पद्धति के द्वारा चल संपत्ति का विक्रय न होने पर उक्त विक्री को पुन: किया जाना अपेक्षित है, प्राधिकृत अधिकारी बाद में की जाने वाली किसी विक्री के लिए उधारकर्ता को कम से कम पंद्रह दिन पूर्व नोटिस देगा, नोटिस को चिपकाएगा और इसे प्रकाशित करेगा";

(iii) उप नियम (3) में "पक्षकारों के बीच लिखित में" शब्दों के स्थान पर "प्रतिभूत उधारदाताओं और प्रस्तावित क्रेता के बीच" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल नियमों के नियम 8 में,-

(i) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2क) सभी नोटिस नियम 8 के उप नियम (1) और उप नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट पद्धतियों के अलावा, सेवा की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए उधारकर्ता को दिये जा सकते हैं"।

(ii) उप नियम (5) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) ई-नीलामी पद्धति सहित लोक नीलामी आयोजित करके; या";

(iii) उप नियम (8) में, "पक्षकारों के बीच लिखित में" शब्दों के स्थान पर "प्रतिभूत उधारदाताओं और प्रस्तावित क्रेता के बीच लिखित में" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. मूल नियमों के नियम 9 में,-

(i) उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) इन नियमों के अंतर्गत पहली बार अचल संपत्ति की बिक्री नियम 8 के उप नियम (6) के परंतुक में उल्लेख किए गए अनुसार समाचार पत्र में विक्रय हेतु प्रकाशित लोक नोटिस अथवा उधारकर्ता को विक्रय नोटिस दिए जाने के 30 दिन की समाप्ति से पूर्व नहीं होगी:

"परंतु यह कि नियम 8 के उप नियम (5) के द्वारा निर्धारित किसी पद्धति के द्वारा अचल संपत्ति का विक्रय न होने पर उक्त बिक्री को पुन: किया जाना अपेक्षित है, प्राधिकृत अधिकारी बाद में की जाने वाली किसी बिक्री के लिए उधारकर्ता को कम से कम पंद्रह दिन पूर्व नोटिस देगा, नोटिस को चिपकाएगा और इसे प्रकाशित करेगा";

(ii) उप नियम (2) के परंतुक में "नियम 9" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 8" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) अचल संपत्ति की प्रत्येक बिक्री पर, क्रेता तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक, जैसा भी मामला हो, विक्रय मूल्य की राशि का 25%, जिसमें जमा की गई अग्रिम राशि, यादि कोई हो, भी शामिल है, को विक्रय करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा और ऐसा नहीं करने पर उक्त संपत्ति की बिक्री पुन: की जाएगी";

(iv) उप नियम (4) में "पक्षकारों के बीच लिखित में हुए समझौते के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "क्रेता और प्रतिभूत उधारदाता के बीच लिखित में हुए समझौते के अनुसार, किसी भी मामले में अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) उप नियम (5) में "जमा राशि समपहृत की जाएगी" शब्दों के पश्चात् "प्रतिभूत उधारदाता के लिए" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

8. मूल नियमों में, नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"13क. पट्टेदार या किरायेदार द्वारा आवेदन – (1) धारा 17 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों के पट्टेदार या किरायेदार द्वारा दायर किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 13 के उप नियम (2) की उप खंड (ग) और उप खंड (घ), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(2) धारा 17 की उप धारा (1) के अंतर्गत पट्टेदार या किरायेदार द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट X में निर्धारित फार्म में हो।"

IndiaCode

9. मूल नियमों के परिशिष्ट–I में, प्रथम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उधारकर्त्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

10. मूल नियमों के परिशिष्ट III में "नियम 8" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 6 और 7" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. मूल नियमों के परिशिष्ट IV में,-

(i) पैराग्राफ के आरंभ में "नियम 9" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 3" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उधारकर्त्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्त्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाएगा कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर वर्ष..... की तारीख से कब्जा कर लिया है";

(iii) दूसरे पैरा के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उधारकर्त्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

12. मूल नियमों के परिशिष्ट-V में "नियम 12" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 8 और 9" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. मूल नियमों में परिशिष्ट IX के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परिशिष्ट – X

[नियम 14 देखें]

(पट्टेदार/किरायेदार के लिए)

(अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के साथ पठित धारा 17 की उप धारा (1) के अंतर्गत आवेदन)"

अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग हेतु

दायर करने की तारीख.....

डाक द्वारा प्राप्त होने की तारीख.....

या

पंजीकरण संख्या.....

रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर.....

ऋण वसूली अधिकरण में

(स्थान का नाम)

क ख..... आवेदक

और

ग घ..... प्रतिवादी

के बीच

'जो लागू न हो, उसे हटा दें

आवेदन का ब्यौरा:

1. आवेदक का ब्यौरा -

(i) आवेदक का नाम

(ii) आवेदक की स्थिति – पट्टेदार/किरायेदार:

(iii) आवेदक/पट्टेदार का पता:

(iv) सभी नोटिस दिए जाने का पता:

2. प्रतिवादी/बैंक का ब्यौरा

(i) प्रतिवादी/बैंक का नाम:

(ii) प्रतिवादी/बैंक का कार्यालय पता:

(iii) सभी नोटिस दिए जाने का पता:

3. अधिकरण की अधिकारिता

आवेदक यह घोषणा करता है कि इस आवेदन की विषय-वस्तु इस अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत है।

4. सीमा

आवेदक यह भी घोषणा करता है कि आवेदन अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) में निर्धारित सीमा के भीतर किया गया है।

5. आवेदक की स्थिति

इसके अंतर्गत क्रमांकित- अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के साथ पठित धारा 17 की उप धारा (1) के अंतर्गत दायर आवेदन के स्थान का स्वरूप

(I) आवेदक पट्टेदार है या किरायेदार

(II) यदि आवेदक पट्टेदार या किरायेदार हो तो निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें

पट्टा विलेख/किरायेदारी समझौते, यदि कोई हो, की तारीख	
क्या पट्टा विलेख/किरायेदारी समझौते पंजीकृत हैं	
पंजीकरण का ब्यौरा – एसआरओ का नाम, प्रस्तुत किए गए कागजात की सं.	
पट्टा विलेख/ किरायेदारी समझौते के अंतर्गत किराये की राशि	
पट्टा/किरायेदारी की अवधि	
क्या प्रतिभूत उधारदाता की अनुमति ली गई थी	
पट्टा/किरायेदारी समझौते की समाप्ति की तारीख	
क्या पट्टा/किरायेदारी का नवीकरण किया गया	
पट्टा विलेख/किरायेदारी समझौते की प्रतिलिपि	

IndiaCode

6. मामले के तथ्य

इस मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं:

(क्रमानुसार तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यहां दें जिसमें प्रत्येक पैरा में यथा संभव अलग-अलग मामले तथ्य या अन्यथा हों जिससे आवेदक के पीड़ित होने का पता चले)

7. कार्रवाई के कारण:

8. प्रार्थित राहत (राहतें):

उपर्युक्त पैरा 5 में वर्णित तथ्यों को देखते हुए आवेदक निम्नलिखत राहत (राहतों) की मांग करता है:-

[मांगी गई राहत (राहतों) का ब्यौरा नीचे दें जिसमें राहत (राहतों) का आधार और धारा 17 की उप धारा (3) के अंतर्गत यथा निर्धारित कानूनी उपबंध (यदि कोई हो) बताया गया हो, जिस पर यह आधारित है]।

9. अंतरिम आदेश, यदि इसकी मांग की गई हो:-

आवेदन पर अंतिम निर्णय लंबित रहने पर आवेदक निम्नलिखित अंतरिम आदेश की मांग करता है:-

(कारणों के साथ प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति यहां बताएं)

10. किसी अन्य न्यायालय आदि में, मामला लंबित नहीं है:

आवेदक और घोषणा करता है कि वह मामला किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण या अधिकरण की किसी पीठ में लंबित नहीं है, जिसके बारे में आवेदन किया गया है।

11. इन नियमों के (नियम 13 के अनुसार) आवेदन शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर का ब्यौरा:

(i) बैंक का नाम जिसमें आहरित:

(ii) डिमांड ड्राफ्ट की संख्या:

या

(i) भारतीय पोस्टल ऑर्डर(ऑर्डरों) की संख्या:

(ii) जारी कर्ता डाकघर का नाम:

(iii) पोस्टल ऑर्डर(ऑर्डरों) को जारी किए जाने की तारीख:

(iv) देय डाकघर:

12. विषय सूची का विवरण:

विश्वस्त कागजातों के विवरण वाली विषय सूची 2 प्रतियों में संलग्न है।

13. संलग्नकों की सूची:

सत्यापन

मैं.....श्री
का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी, आवेदक के लिए या आवेदक की ओर से आवेदनकर्ता एतद द्वारा पूर्ण रूप से यह सत्यापित करता/करती हूँ कि 1 से 11 पैरा के सभी तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास से सही हैं और यह कि मैंने किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

सेवा में,

रजिस्ट्रार

.....

.....

[फा. सं. 3/10/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम 20 सितम्बर, 2002 के का.आ. संख्या 1020(अ.) के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किये गये थे और 26 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1837(अ) के तहत अंतिम बार संशोधित किये गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2016

G.S.R. 1046(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 38, read with sub-section (4), sub-section (10) and sub-section (12) of section 13 of the Securitisation and Asset Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Security Interest (Enforcement) (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, -

(i) in sub-rule (1), after the word "delivering", the words, "including hand delivery," shall be inserted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(5) The demand notice may invite attention of the borrower to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower, to redeem the secured assets.".

3. In the principal rules, in rule 3A,–

(i) in clause (b), for the words "seven days", the words "fifteen days", shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the words "one week", the words "fifteen days", shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:–

"(2A) The borrower shall be intimated by a notice, enclosing the panchnama drawn in Appendix I and the inventory made in Appendix II.

(2B) All notices under these rules may also be served upon the borrower through electronic mode of service, in addition to the modes specified under rule 3.".

5. In the principal rules, in rule 6,–

(i) in sub-rule (1), for clause (*c*), the following clause shall be substituted, namely:–

"(c) holding public auction including through *e*-auction mode; or";

(ii) in sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided further that if sale of movable property by any one of the methods specified under sub-rule (1) fails and the sale is required to be conducted again, the authorised officer shall serve, affix and publish notice of sale of not less than fifteen days to the borrower for any subsequent sale.";

(iii) in sub-rule (3), for the words "between the parties in writing", the words "between the secured creditors and the proposed purchaser", shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 8,–

(i) after sub rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(2A) All notices under these rules may also be served upon the borrower through electronic mode of service, in addition to the modes prescribed under sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 8.".

(ii) in sub-rule (5), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:–

"(c) by holding public auction including through *e*-auction mode; or*";*

(iii) in sub-rule (8), for the words "between the parties in writing", the words "between the secured creditor and the proposed purchaser in writing", shall be substituted.

7. In the principal rules, in rule 9,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) No sale of immovable property under these rules, in first instance shall take place before the expiry of thirty days from the date on which the public notice of sale is published in newspapers as referred to in the proviso to sub-rule (6) of rule 8 or notice of sale has been served to the borrower:

Provided further that if sale of immovable property by any one of the methods specified by sub rule (5) of rule 8 fails and sale is required to be conducted again, the authorised officer shall serve, affix and publish notice of sale of not less than fifteen days to the borrower, for any subsequent sale.";

(ii) in sub-rule (2), in the proviso, for the word and figure "rule 9", the word and figure "rule 8", shall be substituted;

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(3) On every sale of immovable property, the purchaser shall immediately, i.e. on the same day or not later than next working day, as the case may be, pay a deposit of twenty five per cent. of the amount of the sale price, which is inclusive of earnest money deposited, if any, to the authorised officer conducting the sale and in default of such deposit, the property shall be sold again";

(iv) in sub-rule (4), for the words "as may be agreed upon in writing between the parties", the words, "as may be agreed upon in writing between the purchaser and the secured creditor, in any case not exceeding three months" shall be substituted;

(v) in sub-rule (5), after the words, "the deposit shall be forfeited", the words "to the secured creditor" shall be inserted.

8. In the principal rules, after rule 13, the following rule shall be inserted, namely:–

"13A. Application by lessee or tenant.– (1) Every application under sub-section (1) of section 17 filed by lessee or tenant of the secured assets shall be accompanied by a fee specified in sub-clause (*c*) and sub-clause (*d*) of sub-rule (2) of rule 13, as the case may be.

(2) The application to be made by the lessee or the tenant under sub-section (1) of section 17, shall be in the form specified in Appendix X annexed to these rules".

9. In the principal rules, in Appendix I, after the first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:–

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.".

10. In the principal rules, in Appendix III, for the word and figure "rule 8", the words and figures "rule 6 and 7", shall be substituted.

11. In the principal rules, in Appendix IV,–

(i) in the opening paragraph, for the word and figure "rule 9", the word and figure "rule 3" shall be substituted;

(ii) for the first paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this theday of ….. of the year……";

(iii) after the second paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:–

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.".

12. In the principal rules, in Appendix V, for the word and figure "rule 12" the words and figures "rules 8 and 9", shall be substituted.

13. In the principal rules, after Appendix IX, the following Appendix shall be inserted, namely:–

"APPENDIX- X

[See rule 14]

(for lessee/tenants)

(Application under sub-section (1) of section 17 read with sub-section (4) of section 17 of the Act)

For use in Tribunal's Office:

Date of filing …….

Date of receipt by post ……..

or

Registration number …….

Signature …….

Registrar

In the Debts Recovery Tribunal

(Name of the place)

Between:

A B..... Applicant(s)

And

C D Defendant(s)

'Delete whichever is not applicable.

Details of application:

1. Particulars of applicant:-

(i) Name of applicant:

(ii) Locus of applicant – lessee/ tenant:

(iii) Address of applicant/lessee:

(iv) Address for service of all notices:

2. Particulars of the defendant/bank:-

(i) Name of the defendant/ bank:

(ii) Office address of the defendant/bank:

(iii) Address for service of all notices:

3. Jurisdiction of the Tribunal:

The applicant declares that the subject matter of this application falls within the jurisdiction of the Tribunal.

4. Limitation:

The applicant further declares that this application is filed within the limitation prescribed in sub-section (1) of section 17 of the Act.

5. Locus of applicant:

Enumerate herein-nature of locus of applicant under sub-section (1) of section 17 read with section sub-section (4) of section 17.

(i) Whether the applicant is a lessee or tenant:

(ii) If applicant is a lessee or tenant, furnish the following details:

Date of lease deed/agreement of tenancy if any	
Whether the lease deed/ agreement of tenancy is registered	
Details of registration – name of the SRO, document number to be furnished	
Amount of rent under the lease deed / agreement of tenancy	
Period of lease / tenancy	
Whether permission of secured creditor taken	
Date of expiry of lease/agreement of rent	
Whether lease/tenancy renewed	
Copy of lease deed / agreement of tenancy	

IndiaCode

6. Facts of the case :

The facts of the case are given below:-

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise as to how the applicant is aggrieved).

7. Cause of action:

8. Relief(s) sought:

In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the applicant prays for the following relief(s):-

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon as laid down under sub-section (3) of section 17]

9. Interim order, if prayed for:

Pending final decision on the application, the applicant seeks issue of the following Interim Order:-

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).

10. Matter not pending with any other court, etc.:

The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal.

11. Particulars of bank draft or postal order in respect of the application fee in terms of [rule 13] of these rules:

(i) Name of the bank on which drawn:

(ii) Demand draft No.:

or

(i) Number of Indian Postal Order(s):

(ii) Name of the issuing post office:

(iii) Date of issue of postal order(s):

(iv) Post office at which payable:

12. Details of index:

An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

13. List of enclosures:-

Verification

I……..son/daughter/wife of

(Name in full and block letters)

Shri……, the applicant /for and on behalf of the applicant hereby solemnly verify that the contents of paragraphs 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Signature of the applicant

Place:

Date:

To

The Registrar,

……

……..".

[F. No. 3/10/2016 - DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 1020 (E), dated the 20th September 2002 and last amended *vide* notification number S.O. 1837 (E), dated the 26th October 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1047(अ).—केंद्रीय सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 में संशोधन के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में नियम 2 में,-

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

अ. '(क) "अधिनियम" से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है;';

आ. '(कक) "अभिकर्त्ता से किसी पार्टी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है या उसकी ओर से उत्तर देता है";';

(ii) खंड (च) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः-

'(च) "पीठासीन अधिकारी" से अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्य के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरण का पीठासीन अधिकारी शामिल है;';

3. मूल नियमों में नियम 5 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(2क) उप-नियम (2) के अंतर्गत आवेदन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् अधिकरण प्रारूप IV में प्रतिवादियों को समन जारी किए जाएंगे"।

IndiaCode